# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन : 462026

क्रमांक 3497/अकादमी/पात्रता/2017 भोपाल, दिनांक 9/6/17

प्रति,

1. प्राचार्य,
   विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त (शासकीय एवं अशासकीय) महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष,विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभाग।

**विषयः- सत्र 2017-18 में छात्र/छात्राओं को प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश।**

महोदय,

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी प्रवेश संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांतों (2017-18) के साथ-साथ पात्रता संबंधी शर्तो/निर्देशों के अध्ययधीन छात्रों को प्रवेश देवें। प्रवेश संबंधी सामान्य निर्देश निम्नानुसार है-:

1. प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि आपकी संस्था/विभाग को संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है। **संबद्धता की प्रत्याशा में कोई भी प्रवेश न दिये जावें।**
2. प्रवेश उतनी सीटों पर ही दे, जितनी विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उच्च शिक्षा विभाग अथवा केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है।
3. प्रवेश पूर्व यह सुनिश्चत कर लें कि महाविद्यालय में वांछित योग्यता रखने वाले नियमानुसार शिक्षक, प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष, प्रयोगशाला मय सामग्री, पुस्तकें आदि पर्याप्त है। उचित होगा कि आप इनकी सूची समय से स्वतः अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देंवें और वेबसाईट पर प्रदर्शित करें। यदि निरीक्षण के दौरान इसमें कोई कमी पाई जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसका दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।
4. नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों का ही प्रवेश मान्य होगा।
5. जिन छात्रों ने हायरसेकेण्ड्री (10+2) की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल (M.P.Board) या केन्द्रीय माध्यम (सी.बी.एस.ई.) शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से उर्त्तीर्ण की है (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अथवा स्नातक भाग 1,2,3 या स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध म.प्र. के किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो और पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो **उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।**
6. A - बाह्रय प्रदेशों के संबधित सभी छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है तो संबंधित छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। पात्रता आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य है अथवा संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 3036/अकादमी(पात्रता)/2017 दिनांक 06.06.17 का भी अवलोकन करे।

   B - विद्यापरिषद की स्थाई समिति द्वारा दिनांक 07.06.2012 में लिये गये निर्णयानुसार केवल विद्यार्थी को ही पात्रता जारी की जावेगी।

7. **स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम :–** सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. के उत्तीर्ण छात्रों को छोड़कर मध्यप्रदेश राज्य के शेष शिक्षा बोर्ड, एवं म.प्र. राज्य के बाहर के समस्त शिक्षा मण्डलों से उत्तीर्ण छात्रों को **पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य** होगा।

8. **स्नातक प्रथम वर्ष ऑनर्स हेतुः–** सभी प्रवेशित छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। हायरसेकेण्डी (10+2) मे 60 प्रतिशत से पास होना अनिवार्य है।

9. **स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) पाठ्यक्रम हेतुः–** बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से उत्तीर्ण छात्रों को छोड़कर शेष अन्य विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश के लिये पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

10. **बी.एससी. :–**

A - हायरसेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में बायोलॉजी समूह लेने वाले छात्रों को केवल बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता होगी।

B - गणित समूह लेने वाले छात्रों को केवल गणित समूह में प्रवेश की पात्रता होगीं

C- माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायरसेकेण्ड्री (10+2) में विज्ञान से मिलते–जुलते विषय तथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री तथा माईक्रोबायलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को **बी.एस.सी. भाग–1** बायोलॉजी ग्रुप में प्रवेश की पात्रता है।

D - हायरसेकेण्ड्री (10+2) कृषि समूह वाले छात्रों को बायोलॉजी समूह में प्रवेश की पात्रता है।

11. **बी.पी.ई.एस.** – हायरसेकेण्ड्री (10+2) पास होना अनिवार्य है।

12. **आयु** – म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की अधिकतम आयु 23 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नियमित प्रवेशित छात्रों की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए।

13. शुल्क

**A–** प्रवेशित अंतिम तिथि से 15 दिन तक सामान्य पात्रता शुल्क रूपये 300–00 निर्धारित किया गया है, उक्त तिथि के पश्चात 15 दिन तक अतिरिक्त विलंब शुल्क 600–00 रूपये तथा उसके पश्चात 30 दिन तक अतिरिक्त विलंब शुल्क रूपये 1000–00 रूपये के साथ पात्रता प्रदान की जावेगी।

**B-** पात्रता प्रमाण पत्र के ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात "हार्ड कॉपी" के साथ अपने मूल प्रमाण पत्रो को तीन दिनो के अन्दर पात्रता शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा सत्यापन पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

14. व्यावसायिक पाठ्यक्रमः– (A)

A - **बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.एल.एल.बी. आनर्स तथा एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेशः–**
बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जावेगा।

B - **बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड., एम.एड, बी.एस.सी. बी.एड., बी.ए. बी.एड पाठ्यक्रमः–** में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हता अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

C - **एम.बी.ए पाठ्यक्रम** :- में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को दिया जावे जिनका अनुमोदन संचालक, तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हुआ हो। चयनित छात्रों की सूची के साथ अन्तिम कौंउसिलिंग दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में उपलब्ध करावें।

D - **एम.सी.एम,पी.जी.डी.सी.ए.,एम.ए. (सोशल वर्क)**, बी.सी.ए., बी.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश :–

**(अ) एम.सी.एम/पी.जी.डी.सी.ए./एम.ए. (सोशल वर्क)** में प्रवेश हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।

**(ब) बी.सी.ए.** पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हायरसेकेण्ड्री (10+2) निम्नलिखित परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है:-

A - हायरसेकेण्ड्री (10+2) विज्ञान (गणित एवं बायोलॉजी ग्रुप) में गणित अथवा भौतिक शास्त्र विषय होना आवश्यक है।

B- हायरसेकेण्ड्री (10+2) कामर्स ग्रुप अर्थ शास्त्र होना आवश्यक है।

C - हायरसेकेण्ड्री (10+2) कला समूह के साथ यदि गणित विषय होना आवश्यक है।

D - माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हायरसेकेण्ड्री (10+2) में (कम्प्यूटर ग्रुप) कम्प्यूटर से संबंधित विषय तथा प्रिटिंग डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालेसिस डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग वर्कशॉप प्रेक्टिस जैसे विषय लेकर उत्तीर्ण छात्रों को बी.सी.ए. भाग-1 में प्रवेश की पात्रता है।

**(स) बी.बी.ए. पाठ्यक्रमः-** में प्रवेश हायरसेकेण्ड्री (10+2) पास होना अनिवार्य है।

15.**नोट-:** उक्त अंको के प्रतिशत में कोई भी छूट मान्य नही होगी। सभी (A)**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों ने प्रवेश के पूर्व पात्रता प्रमाण प्रत्र बनवाना अनिवार्य है।**

16.**पीएच.डी. पाठ्यक्रमः-** बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल में पंजीकृत सभी छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।

17 सभी पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रदेश के बाहर के छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होगा। स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत अंकों से पास होना अनिवार्य है।

**केन्द्रीय नियामक संस्थाओं तथा एन.सी.टी.ई. एवं बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी अद्यतन प्रवेश हेतु अर्हताओं संबंधी दिशानिर्देश मान्य होंगें।**

18.**अन्य निर्देश :-**

1. एम.एससी. पाठ्यकमों में प्रवेश अध्यादेश में विनिहित प्रावधान के अनुसार ही दिया जावें।
2. अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक स्तर के प्रथम-द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर पाठ्यकमों के पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अगली कक्षा में तभी प्रवेश दिया जावेगा यदि उनके पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के समकक्ष होगें। यदि पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक भिन्नता पाई जाती है तो प्रवेश नही दिया जावे। तृतीय वर्ष में प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब पाठ्यक्रमों में समानता हो।
3. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त म.प्र. शासन द्वारा प्रवेश हेतु जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों का महाविद्यालय कड़ाई से पालन करें तथा जिन पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई उसका कड़ाई से पालन करें।
4. कोई नया पाठ्यक्रम बिना कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. एवं अन्य संबंधित विभागों तथा विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना संचालित नही करें अन्यथा परिनियम-27 एवं 28 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. यू.जी.सी. द्वारा जिन विश्वविद्यालय को फर्जी एवं अमान्य घोषित कर दिया गया हैं उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दें तथा ऐसे फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों की सूची यू.जी.सी. की वेबसाईट से डाउनलोड करें।
6. जिन परीक्षाओं में यू.जी.सी./भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) द्वारा मान्यता/समकक्षता प्रदान नही की गई है, ऐसे उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश न दें।

7. जो छात्र पूर्व प्रचलित हायरसेकेण्ड्री (10+2+3) के अंतर्गत स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।
8. विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ATKT प्राप्त विद्यार्थियों को अन्य किसी महाविद्यालय में स्थानांतरण नही किया जाये अन्यथा प्रवेश देने वाले महाविद्यालय के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. छात्र/छात्राओं के महाविद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा यह परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे कि प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा संबंधित पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अर्हताऐं पूर्ण करता है/ करती है। अपात्र को प्रवेश देने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की होगी।
10. जिन छात्र/छात्राओं को शासन के किसी सामान्य नियमों के तहत अंकों में या सीटों में छूट/आरक्षण का लाभ दिया जाता है, तो उसका दर्ज करना सुनिश्चित किया जावे।
11. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 15 दिन की समयावधि में विश्वविद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
12. अमान्य बोर्ड (शिक्षा मण्डल/वि.वि.) से उत्तीर्ण छात्र -छात्राओं को प्रवेश देने पर संबंधित महाविद्यालयों/विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी।
13. इस अधिसूचना में लिखित निर्देशो मे किसी भी प्रकार की अस्पष्टता 'विरोधाभास' पाये जाने पर अथवा किसी बिन्दु के इन्टरप्रेटेशन की आवश्यकता की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3498..../अकादमी/पात्रता/2017 भोपाल, दिनांक 9/6/2017

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा म.प्र. संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग(शा.एम.एल.बी. कॉलेज परिसर, भोपाल)।
3. अवर सचिव, उच्च शिक्षा म.प्र. वल्लभ भवन, भोपाल।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. उपकुलसचिव, (गोपनीय) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
7. सहायक कुलसचिव, (परीक्षा) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
8. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. प्रभारी मित्र कार्यालय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
10. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी/कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
11. संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव(अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल